सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 63/15 **निर्णय दिनांकः— 01.06.2018**

1. कुन्दई बेवा कालू खॉ जाति मुसलमान निवासी राणीसर हाल चक 17 डीडी तहसील पूगल जिला बीकानेर।
2. शरीफ
3. मुराद खॉ
4. हाजरा
5. जन्नत

पिसरान कालू खॉ जाति मुसलमान निवासी राणीसर हाल चक 17 डीडी तहसील पूगल जिला बीकानेर।

—अपीलांटस

—बनाम—

1. मांगीलाल पुत्र प्रकाशराम जाति बिश्नोई निवासी चक 8 डीकेडी तहसील पूगल जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, पूगल।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 30—04—2015
उपखण्ड अधिकारी, पूगल

उपस्थितः—

1. श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री कृष्ण बेनीवाल, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, पूगल के आदेश दिनांक 30—04—2015 जिसके द्वारा अपीलांट्रान के धारण की भूमि को बतौर मिडियम पेच रेस्पोडेन्ट को आवंटित कर दी गई, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र में राजकीय भूमि का

आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांटान के धारण में बन्दोबस्ती की भूमि तहसील पूगल के वाके चक 17 डीडी के मुरब्बा नम्बर 29/38 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा, मुरब्बा नम्बर 29/37 के किला नम्बर 16 ता 19, 21 ता 25 में 9 बीघा, मुरब्बा नम्बर 29/53 के किला नम्बर 1, 10 ता 25 में 16 बीघा, मुरब्बा नम्बर 29/63 के किला नम्बर 1 ता 9, 11 ता 22 में 21 बीघा, मुरब्बा नम्बर 29/61 के किला नम्बर 1 ता 24 में 24 बीघा, मुरब्बा नम्बर 49/6 के किला नम्बर 1 ता 20 में 20 बीघा, मुरब्बा नम्बर 49/14 के किला नम्बर 1 ता 10 में 10 बीघा इस प्रकार कुल 125 बीघा भूमि कब्जे काश्त में चली आ रही है तथा मौके पर ढाणी व कुण्ड बना कर निवास कर रहे है। अदालत मातहत ने अपीलांट के धारण की भूमि मुरब्बा नम्बर 49/14 के किला नम्बर 1 ता 10 कुल 10 बीघा भूमि मिडियम पेच के तहत रेस्पोडेन्ट को आवंटित कर दी गई है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलांट अपनी उक्त भूमि बाबत् वर्षो से न्यायालय में कार्यवाही कर पुख्ता आवंटन की कार्यवाही जैरकार है। जिसमें फोटो फार्म भी अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जैरकार है एवं विभिन्न उच्चतर न्यायालयों से स्थगन आदेश भी प्राप्त है। अदालत मातहत ने इस महत्वपूर्ण तथ्य को दरकिनार करते हुए वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर कोई गौर नहीं किया कि आराजी जैर के पुख्ता आवंटन हेतु अन्य कोई प्रार्थना पत्र जैरकार है अथवा नहीं? इस तथ्य पर कोइ गौर किये बिना कानून व न्याय को ताक पर रखकर वादगत् भूमि को रेस्पोडेन्ट को आवंटित करने में कानूनी भूल की है।

उन्होंने आगे बताया कि जब अदालत मातहत के समक्ष वादगत् भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र जैरकार था तो ऐसी स्थिति में अदालत

मातहत को वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व अपीलांट को नोटिस, सूचना व सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना अपरिहार्य था।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा तमाम कार्यवाही रेस्पोडेन्ट को बेजा फायदा पहुँचाने की नियत से की गई है। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि का आवंटन दिनांक 30—04—2015 को किया गया है जबकि आवंटन राशि का चालान दिनांक 23—04—2015 को ही जारी कर दिया जाता है। अदालत मातहत के उक्त कृत्य से स्पष्ट है कि अदालत मातहत द्वारा तमाम कार्यवाही पूर्व नियोजित तरीके से की गई है। अपीलांट के उक्त भूमि के पुख्ता आवंटन की कार्यवाही जैरकार है तथा उक्त भूमि बाबत् सिविल न्यायालय खाजुवाला से दिनांक 21—10—2013 को स्थगन आदेश भी पारित कर रखा है परन्तु अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य पर कोई गौर किये बिना रेस्पोडेन्ट के पक्ष में आवंटन आदेश जारी करने में कानूनी भूल कारित की गई है।

मिडियम पेच आवंटन हेतु आवश्यक है कि आवंटन योग्य भूमि के बारे में सार्वजनिक सूचना जारी कर सभी चिपते काश्तकारों को विधिवत नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा बिना आवंटन प्रक्रिया को अपनाये ही वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है जो स्पष्ट रूप से आवंटन नियमों के विपरीत होने से अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील खारिज फरमाया जावे।

उन्होंने मिंयाद के संबंध में बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर बिना अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया आदेश है। ऐसे एकतरफा आदेश में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अंदर मियांद शुमार की जावे।

4. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेन्ट को आराजी जैर का आवंटन, आवंटन प्रक्रिया को अपनाते हुए किया गया है। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व

नियमानुसार संबंधित पटवारी से वादगत् भूमि के बाबत् रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त रिपोर्ट में संबंधित पटवारी द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अतिरिक्त मोतीराम पुत्र सुगनाराम व प्रकाशराम पुत्र शंकरलाल आदि की वरियता कायम की गई। अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार अन्य पड़ौसा काश्तकार को नोटिस जारी किया गया। जिस पर प्रकाशराम का नोटिस विधिवत तामील होकर प्राप्त हुआ तथा मोतीराम के नोटिस की पुश्त पर रिपोर्ट प्राप्त हुई कि वह वहॉ निवास नहीं करता है। ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि के आवंटन हेतु प्रकाशराम द्वारा कोई कार्यवाही अर्थात उपस्थित नहीं आने पर अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन पश्चात् आवंटन हेतु तमाम राशि जमा करवाई जा चुकी है तथा राजस्व रिकार्ड में रेस्पोडेन्ट का नाम दर्ज किया जा चुका है। इस प्रकार आवंटन से संबंधित तमाम कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। वादगत् भूमि से अपीलांट का कोई लेना—देना नहीं है नाही अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि के मिडियम पेच आवंटन हेतु कोई प्रार्थना पत्र अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत ही कर रखा था। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार आवंटन प्रक्रिया को अपनाते हुए वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट को किया गया है। लिहाजा अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर रेस्पोडेन्ट का आवंटन बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 30—04—2015 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 29—06—2015 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर पारित किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को चक 17 डीडी के मुरब्बा नम्बर 49/14 के किला नम्बर 1 ता 10 में 10 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 30—04—2015 को बतौर मिडियम पेच के तहत किया गया था। जबकि अपीलांट का कथन है कि वादगत् भूमि के पुख्ता आवंटन की कार्यवाही अदालत मातहत के समक्ष जैकरार थी तथा सिविल न्यायालय खाजुवाला के वादगत् भूमि के बाबत् स्थगन आदेश जारी किया हुआ था ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा नियम विरूद्व जाकर वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। जिससे व्यथित होकर उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(3) हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में यह निर्विवाद है कि अदालत मातहत के समक्ष वादगत् भूमि के पुख्ता आवंटन की कार्यवाही जैरकार थी तथा अपीलांट द्वारा नियमानुसार फोटो फार्म भी अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत कर रखा था। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को चाहिए था कि वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व अपीलांट को विधिवत नोटिस दिया जाकर सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए आदेश पारित किया जाना चाहिए था।

(4) प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य भी भलींभांति स्पष्ट है कि वादगत् भूमि पर सिविल न्यायालय, खाजुवाला का स्थगन आदेश पारित किया हुआ था। अदालत मातहत वादगत् भूमि के बाबत् इस महत्वूपर्ण तथ्य पर कोई गौर नहीं करते हुए स्थगन आदेश के बावजूद भी वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है जो स्पष्ट रूप से न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आता है। अदालत मातहत का उक्त कृत्य किसी भी दृष्टि से न्यायपरक कृत्य की श्रेणी में नहीं आता है।

(5) जहॉ तक वादगत् भूमि का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को मिडियम पेच आवंटन का संबंध है इस संबंध में भी अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों की पूर्णरूपेण पालना नहीं किया जाना स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। अदालत मातहत को चाहिए था कि वादगत् भूमि के मिडियम

पेच आवंटन से पूर्व विधिवत रूप से सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करते हुए वादगत् भूमि के चिपते व अन्य काश्तकारों को विधिवत नोटिस प्रदान करते हुए व सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए आवंटन की कार्यवाही की जानी चाहिए थी। जैसा की प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा नहीं किया गया है। जो मामलें को अपने आप में दुषित करता है।

(6) प्रकरण में यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को वादगत् भूमि का आवंटन दिनांक 30—04—2015 को किया गया है जबकि वादगत् भूमि के बाबत चालान दिनांक 23—04—2015 को ही जारी करते हुए राशि जमा करवा दी गई है। इस प्रकार स्थिति यह उभर कर सामने आती है कि अदालत मातहत द्वारा तमाम कार्यवाही सुनियोजित रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुँचाने की नियत मात्र से की गई है परिलक्षित होती है।

(7) इस प्रकार प्रकरण में यह स्पष्ट रूप से साबित है कि वादगत् भूमि के आवंटन हेतु अपीलांट का पुख्ता आवंटन का प्रार्थना पत्र जैरकार था, वादगत् भूमि पर सिविल न्यायालय खाजुवाला का स्थगन आदेश पारित किया हुआ था तथा मिडियम पेच आवंटन हेतु निर्धारित प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए अदालत मातहत द्वारा कार्यवाही की गई है। उपरोक्त परिस्थितियों के मद्देनजर अदालत मातहत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश पुष्टि योग्य आदेश की परिभाषा में नहीं आता है।

7. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी, पूगल दिनांक 30—04—2015 निरस्त किया जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 01.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर